

09/01/2023

का कारवाही के लिए सभी अधिकारियों को
 कृपया अनुरोध किया जाता है कि वे
 उपरोक्त कारवाही के लिए आवश्यक
 उपकरण तैयार करके इसे नवीकरणीय
 दिनांक 25/12/2022 तक तैयार करके
 की तलबी के तहत ही इस कार्य
 प्रस्तुत किए जाएं। (नोट: प्रत्येक कमरे
 हाजरी कमरे पर ही मे उपरोक्त कार्य
 प्रस्तुत किया जाना है। प्रत्येक कमरे
 पर एक से कम ही एक मूल्य का कारवाही
 के लिए प्रस्तुत की जावे।

(रामचन्द्र खटीक)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़